राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

कमांक प12(3)(18)राज/2016/ U4 दिनांक :–30 /3/2016

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री निवास रेड्डी पुत्र श्री राममोहन रेड्डी निवासी मकान न0 48–228 प्लाट न0 113, सूर्य नगर, चिन्तल हैदराबाद, (तेलंगाना) ने ग्राम धतरवालों का बास स्थित कृषि भूमि ख0न0 316 रकबा 0.21 है0, ख0न0 317 रकबा 2.27 है0 कुल रकबा 2.48 है0 में से सर्म्पूण रकबा 2.48 है0 भूमि का कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः उक्त आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत राजस्व (ग्रुप–9) विभाग की स्वीकृति कमांक 2(38)राजस्व/भू.रू./2011 दिनांक 27.6.2011 के अधीन तथा नियम 9(2) के अन्तर्गत अनुमोदित नक्शे के अनुसार अकृषिक प्रयोजन कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्ठियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री निवास रेड्डी पुत्र श्री राममोहन रेड्डी निवासी मकान न0 48–228 प्लाट न0 113, सूर्य नगर, चिन्तल हैदराबाद, (तेलंगाना)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनूसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौराः (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम धतरवालो का बास, ग्राम पंचायत ओजटू तहसील चिड़ावा
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 316, 317 रकबा कमशः 0.21, 2.27 है0 कुल रकबा 2.48 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ख0न0 316, 317 रकबा कमशः 0.21, 2.27 है0 कुल रकबा 2.48 है0 मे से सम्पूर्ण रकबा (2.48 है0)
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 280 दिनांक 29–3–16 राशि 1,86,000/– रूपये
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिऐ नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्ठियां यदि कोई हो	नहीं

10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:– (1) इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार सड़क के मध्य से 12.5 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। (2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी । (3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं अनुमोदित योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र/पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि छोड़कर निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा। (4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज–6/92 पार्ट दिनांक 17–7–2007 के निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा। (5) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओ के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा। (6) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पैट्रोलियम विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (8) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (9) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगां। (10) उपरोक्त शर्तो की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा । शर्तो का उल्लघंन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुन्झुनू
दिनांक :–30/3/2016

कमांक प 12(3)(18)राज/2016/ 44
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा
2. तहसीलदार/उप पंजीयक चिड़ावा को पालनार्थ
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुझुनू।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड चिड़ावा।
5. श्री निवास रेड्डी पुत्र श्री राममोहन रेड्डी निवासी मकान न0 48–228 प्लाट न0 113, सूर्य नगर, चिन्तल हैदराबाद, (तेलंगाना)।
6. गार्ड फाईल

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुन्झुनू